सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परिदृश्य के विविधीकरण और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ, उपयोगकर्ता की बदलती अपेक्षाओं के मद्देनजर गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाना सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है।

वर्ष 2024–25 में, एनआईसी की मदद से कोयला मंत्रालय ने बेहतर योजना, निगरानी और निर्णय लेने के लिए आवश्यक विभिन्न निर्णय समर्थन प्रणाली को लागू करने की दिशा में कड़ी मेहनत और नेतृत्व किया है। एमआईएस अनुप्रयोगों/ वेबसाइट के लिए मुख्य लाभ मंत्रालय के कार्यभार को कम करना और इसके कार्य में समग्र पारदर्शिता बढ़ाना है।

कोयला मंत्रालय में एनआईसी कोयला कंप्यूटर सेंटर सुरक्षित बहु–मंच कंप्यूटर आधारित अनुप्रयोगों / समाधान, डाटाबेस समर्थन, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, वीपीएन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को वितरित करने और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए नवीनतम कंप्यूटर प्रणालियों से सुसज्जित है। कोयला मंत्रालय ने अवसंरचना के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और कोयला मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती को गति देने के लिए एनआईसी–मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है।

एनआईसी की कोयला मंत्रालय में एक समर्पित टीम है जिसमें उप महानिदेशक (डीडीजी) रैंक का एक अधिकारी, विभागाध्यक्ष (एचओडी) के रूप में एक वरिष्ठ निदेशक (आईटी) एक वैज्ञानिक–बी और एक वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक–बी रैंक का अधिकारी है। मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) प्रकोष्ठ के समन्वय से विभिन्न परियोजनाएं/ गतिविधियां शुरू की हैं:

1.1. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/गतिविधियां

- ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- ई–गवर्नेंस गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सभी वेबसाइटों का प्रशासन, अद्यतन और रखरखाव तथा संसाधन प्रबंधन, कार्यक्षेत्र प्रबंधन, आवश्यकता अध्ययन आदि जैसे अनुप्रयोग परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप।
- अवसंरचना के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए एनआईसी क्लाउड–मेघराज पर वेब साइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों की तैनाती।
- साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों, सलाह, अलर्ट आदि का अनुपालन।

  विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और आईसीटी गतिविधियों से संबंधित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।

  लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव

  ई–मेल निर्माण और मंत्रालय के अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं पर सहायता

1.2. ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग/ पोर्टल एनआईसी मंत्रालय के अधिकारियों को सामान्य ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर सहायता भी प्रदान करता है जैसे कि:

एनआईसी मंत्रालय के अधिकारियों को सामान्य ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर सहायता भी प्रदान करता है जैसे कि:

- https://coal.eoffice.gov.in
- https://pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल)
- https://pfms.nic.in (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली)
- http://bhavishya.gov.in (पेंशन, मंजूरी और भुगतान ट्रैकिंग सिस्टम)
- https://e&samiksha.gov.in
- https://limbs.gov.in (न्यायालय मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लीकेशन)
- https://esamiksha.gov.in/ ई–समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई प्रस्तुतियों, केंद्र–राज्य–समन्वय मुद्दों, मंत्रिमंडल द्वारा की गई टिप्पणियों, सचिवों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों आदि के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए एक रियल–टाइम ऑनलाइन प्रणाली है।
- ई–निविदा (निविदा प्रकाशन के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक खरीद पोर्टल), ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली), ई–सेवा पुस्तिका, स्पैरो, स्वागत (आगंतुक प्रबंधन प्रणाली), आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, आदि।

1.3. ई–गर्वनेंस पहलें: मंत्रालय के लिए विकसित विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियां/अनुप्रयोग निम्नानुसार हैं:

i. सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल: (https://swcs.coal.gov.in)

भारत सरकार द्वारा कारोबार में सुगमता लाने की पहल के भाग के रूप में, कोयला मंत्रालय ने एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की अवधारणा की थी जो भारत में कोयला खानों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के साथ–साथ एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है।

कोयला खान शुरू करने के लिए विभिन्न सांविधिक प्रावधान जैसे खनन योजना और खान समापन योजना का अनुमोदन, खनन पट्टा प्रदान करना, पर्यावरण और वन स्वीकृति, स्थापित करने के लिए सहमति, प्रचालन के लिए सहमति, वन्यजीव स्वीकृति, विस्फोटक के भंडारण के लिए विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) की अनुमति, भूमि अधिग्रहण मॉड्यूल, सुरक्षा प्रबंधन योजना (डीजीएमएस के साथ), केन्द्रीय भूजल स्वीकृति आदि पूर्वापेक्षाएं हैं। ये स्वीकृतियां विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह पोर्टल कोयला खान शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सांविधिक मंजूरियों (केंद्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों को कवर करते हुए) का मानचित्रण करता है।

पोर्टल को न केवल प्रासंगिक आवेदन प्रारूपों को मैप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रक्रिया प्रवाह को मैप करने और एपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। कारोबार में सुगमता लाने की सुविधा के लिए, एसडब्ल्यूसीएस का एक एकीकृत मंच तैयार किया गया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से खनन योजनाओं और खान बंद करने की योजनाओं के अनुमोदन और नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एनएसडब्ल्यूसीएस) के साथ एकीकरण के लिए पहले से ही परिचालन मॉड्यूल शामिल है।

पंजीकरण मॉड्यूल, खनन योजना मॉड्यूल, सीबीए की धारा 7 (1) के तहत आपत्ति अधिसूचना प्रस्तुत करना और संकल्प मॉड्यूल का संचार, परिवेश पोर्टल 1.0 (वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, तटीय विनियामक क्षेत्र मंजूरी, प्रचालन के लिए सहमति, और स्थापना के लिए सहमति), और नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के साथ एकीकरण डिजिटल इंडिया के भाग के रूप में पूरा किया गया था।

डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ कोयला मंत्रालय के एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल

का एकीकरण किया गया था। पीआईएनजी एपीआई, प्रमाणीकरण एपीआई, पुल दस्तावेज़ एपीआई और पुश पुनर्निर्देशन एपीआई पूरा हो चुका है। एनएसडब्ल्यूएस के साथ एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल के सफल एकीकरण के बाद परियोजना प्रस्तावक अब एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जो अब स्टेकहोल्डरों के लिए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा, पीआरआईएमएस (प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम) नामक एक मॉड्यूल को शुरू किया गया है, जिसमें कोयला ब्लॉकों से संबंधित मूल जानकारी संग्रहीत की जाती है, जैसे कि वह अधिनियम जिसके तहत खान आवंटित की जाती है, सभी उपलब्धियों को पूरा करने के लिए आवंटित समय, खनन की विधि, कोयले का प्रकार, कोयला ब्लॉक की स्थिति (अन्वेषित, अनन्वेषित), भंडार का विवरण, प्रचालन की तारीख सहित अधिकतम निर्धारित क्षमता, खानों का जीवनकाल, के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का निर्णय लिया है। मॉड्यूल कोयला खानों के निहित होने के बाद उनके विकास को ट्रैक करता है, सीएमडीपीए के दक्षता मापदंडों में उल्लिखित सभी उपलब्धियों की निगरानी करता है। यह नियत और वास्तविक पूर्णता तिथियों के साथ उपलब्धियों की एक सूची प्रदर्शित करता है, जिसे कोयला खान को शुरू करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। यह दैनिक और मासिक आधार पर प्रत्येक खान के कोयला उत्पादन को भी ट्रैक करता है, जिससे मंत्रालय को कोयला उत्पादन की निगरानी करने और कोयला खानों के त्वरित कार्यान्वयन में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह खानों से कोयला प्रेषण के विवरण को ट्रैक करता है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 07.11.2024 को, कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा दी गई खान खोलने/सीम ओपनिंग अनुमतियों की प्रोसेसिंग और जारी करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस वेब पोर्टल पर एक मॉड्यूल लॉन्च किया। यह पहल नई कोयला खानें शुरू करने अथवा नई कोयला परतें खोलने के लिए खान खोलने/सीम खोलने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर तथा तेज करती है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म परियोजना समर्थकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है, मैन्युअल कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को हटाता है और प्रोसेसिंग समय को बहुत कम करता है। आवेदक रियल टाइम में अपने आवेदनों की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं, निकासी प्रक्रिया के दौरान अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकते हैं। कोयला खनन विनियामक ढांचे के इस महत्वपूर्ण घटक को सरल बनाकर, कोयला मंत्रालय का लक्ष्य उद्योग के भीतर अधिक कुशल और निवेश के अनुकूल वातावरण बनाना है।

ii. कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस): (https:/imports.gov.in/CIMS)

कोयला आयात निगरानी प्रणाली विकसित की गई है और आयातकों के लिए इसका रखरखाव किया गया है ताकि वे इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कोयला मदों के आयात के लिए अग्रिम सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऑनलाइन डाटा/सूचना प्रस्तुत करने पर, सिस्टम एक ऑटोमेटिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर उत्पन्न करता है। इस उद्देश्य के लिए किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई मैनुअल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

यह पोर्टल सरकार को आयात किए जा रहे कोयले की विभिन्न श्रेणियों पर नजर रखने और तदनुसार नीतिगत निर्णय लेने में मदद करता है। कोयले की जिन श्रेणियों पर सीआईएमएस लागू होगी उनमें एन्थ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला शामिल हैं। सीआईएमएस में पहले के ऑनलाइन पंजीकरण देखने की सुविधा भी है। इसके अलावा, अपूर्ण आवेदन जो डीजीएफटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वे भी समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए सीआईएमएस में उपलब्ध हैं।

iii. कोयला खान पोर्टल की स्टार रेटिंगः (https://starrating.coal.gov.in)

कोयला खनन प्रचालनों से अनेक नियमों, विनियमों का अनुपालन करने की आशा की जाती है। ये मुख्य रूप से सुरक्षा, पर्यावरण, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, कामगारों के कल्याण आदि से संबंधित हैं। सभी खानों से सभी विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। स्टार रेटिंग नीति का उद्देश्य सात प्रमुख मापदंडोंः खनन प्रचालन, पर्यावरण से संबंधित पैरामीटर, प्रौद्योगिकियों को अपनाना, सर्वोत्तम खनन प्रथाएं, आर्थिक निष्पादन, पुनर्वास पुनर्स्थापन, कामगारों से संबंधित अनुपालन और सुरक्षा संरक्षा में विभिन्न कारकों के आधार पर खानों का मूल्यांकन करना है।

खानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने तथा उन्हें उचित मान्यता देने के लिए, एनआईसी–कोयला टीम ने कोयला खानों की स्टार रेटिंग नामक एक वेब पोर्टल विकसित और अनुरक्षित किया गया था, जिसके ऐसा करने की उम्मीद है।

खानें एक व्यापक स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर रही हैं और बाद में कोयला नियंत्रक द्वारा नियुक्त समीक्षक तथा तत्पश्चात् स्वयं कोयला नियंत्रक द्वारा विधिमान्यकरण किया जाता है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा करके और जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा देकर देश में कोयला और लिग्नाइट खनन के समग्र निष्पादन और संधारणीयता को बढ़ाना है। सम्मानित रेटिंग फाइव स्टार से लेकर शून्य स्टार तक होती है, जो प्रत्येक खान की उपलब्धियों का व्यापक मूल्यांकन करती है।

iv. मंत्रालय की वेबसाइटः (https://coal.gov.in)

वेबसाइट किसी भी संगठन का एक अभिन्न अंग है। मंत्रालय की वेबसाइट को नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फिर से डिजाइन किया गया है। यह सरल संचालन और प्रबंधन के साथ एक सीएमएस संचालित प्रणाली है। कोयला मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी, उपयोगकर्ता के अनुकूल है और महत्वपूर्ण तथा नवीनतम अद्यतित सूचना के लिए एक सरल नेविगेशन और त्वरित पहुंच प्रदान करती है। वेबसाइट को सभी हैंड–हैल्ड उपकरणों से अभिगम्य करने के लिए रिस्पोंसिव बनाया गया है।

मंत्रालय की वेबसाइट को कोयला उत्पादन प्रेषण, कोयला ब्लॉक आवंटन कोयला खानों की नीलामी, कोयला खानों में सुरक्षा, अधिनियम नीतियां, संधारणीय विकास, प्रौद्योगिकी रोडमैप, कोयला गैसीकरण, निविदा सूचनाएं, विज्ञापन, वार्षिक रिपोर्ट, कार्यक्रम, प्रेस विज्ञप्ति, आयोजित और आयोजित की जाने वाली गतिविधियों आदि जैसे नवीनतम कोयला सांख्यिकी को जोड़कर दैनिक आधार पर अद्यतित किया जाता है।

वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है और प्रमुख उपलब्धियों को जोड़कर तथा वीडियो सामग्री और फोटो गैलरी (कार्यक्रम/घटना–वार) आदि जोड़कर समृद्ध किया जाता है। साइट की सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है और सभी सरकारी वेबसाइट के लिए आवश्यक एसटीक्यूसी स्वीकृति भी ली जाती है।

v. राष्ट्रीय कोयला पोर्टल (कोयला डैशबोर्ड) (https://ncp.cmpdi.co.in)

राष्ट्रीय कोयला पोर्टल, एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है और अंत्य उपयोगकर्ताओं के लिए कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) साझा करने के लिए अनुरक्षित किया गया है। यह डैशबोर्ड दैनिक आधार पर रियल टाइम कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण की निगरानी करता है। कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) आधारित विश्लेषण किया गया था। कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के केपीआई

को वेब एपीआई का उपयोग करके प्रयास पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

यह डैशबोर्ड कोयला/लिग्नाइट उत्पादन, कोयला/लिग्नाइट ऑफ्टेक, अन्वेषण, केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति, अवसंरचना परियोजनाओं, ब्लॉकों के आवंटन (सीएमएसपी/एमएमडीआर), प्रमुख कोयला खानों (सीआईएल) की निगरानी, कोयला मूल्य, संधारणीय विकास गतिविधियों से संबंधित केपीआई निष्पादन करता है। पोर्टल में कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के संबंध में विभिन्न प्रकार की ग्राफिकल रिपोर्ट शामिल हैं।

vi. ई–ऑफिसः (https://coal.eoffice.gov.in)

ई–ऑफिस एक वेब–आधारित प्रणाली है जिसे मंत्रालय में फाइलों और प्राप्ति की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए कार्यान्वित और अनुरक्षित किया गया है। ई–ऑफिस उत्पाद का उद्देश्य अंतर और अंतर–सरकारी प्रक्रियाओं के लिए अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से शासन का समर्थन करना है। इस प्रणाली में सभी चरण शामिल हैं, जिसमें आवक प्राप्तियों का डायरीकरण, फाइलों का निर्माण, प्राप्तियों और फाइलों की आवाजाही, फाइलों की ट्रैकिंग, खोज और अंत में, रिकार्डों का अभिलेखीय शामिल है। यह कोयला मंत्रालय में पूरी तरह कार्यात्मक है। मंत्रालय में फाइलों का वास्तविक रूप से कोई प्रचालन नहीं होता है। मंत्रालय के सभी अधिकारियों को गैर–एनआईसीएनईटी नोड्स/लैपटॉप से इस पोर्टल तक पहुंचने के लिए वेब वीपीएन सेवाएं प्रदान की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यालय के बाहर से ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म में निरंतर काम किया जा सके। मंत्रालय के अधिकारियों को समय–समय पर आवश्यक प्रचालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कोयला मंत्रालय ने ई–ऑफिस 7.x के नए संस्करण में सफलतापूर्वक माइग्रेट किया है।

vii. ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली): https://e-hrms.gov.in

ई–एचआरएमएस को कोयला मंत्रालय में नया रूप दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है। मानव संपदा (मानव पूंजी के लिए उचित नाम, किसी भी सरकार, संगठन या कंपनी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है) सरकारी क्षेत्र के लिए एक मानक आईसीटी समाधान है, जो कार्मिक प्रबंधन से संबंधित राज्य सरकारों की अधिकतम आवश्यकताओं को संबोधित करता है। मानव संपदा का पहला और मूल उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा रिकॉर्ड के माध्यम से कर्मियों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य/केंद्र सरकार के संगठनों को एक सामान्य, उत्पाद–आधारित समाधान प्रदान करना है। यह कर्मचारियों की सही संख्या, सेवानिवृत्ति पैटर्न, भर्ती की योजना बनाने के लिए आने वाले वर्ष में अतिरिक्त आवश्यकताओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक धनराशि, राज्य के भीतर अन्य विभागों / संगठनों को अधिशेष कर्मचारियों के पुनः आवंटन, एसीआर/संपत्ति रिटर्न स्थिति, वरिष्ठता सूची आदि जानने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करता है।

मंत्रालय के कर्मचारी न केवल अपनी सेवा पुस्तिका, छुट्टी आदि के बारे में अपने सभी विवरण देख सकेंगे, बल्कि एक ही मंच पर विभिन्न प्रकार के दावों/प्रतिपूर्ति, ऋण/अग्रिम, छुट्टी, अवकाश नकदीकरण, एलटीसी अग्रिम, टूर आदि के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।

पेंशन पेपर तैयार करने, वेब सेवाओं के माध्यम से ई–वेतन के साथ एकीकरण, ऑनलाइन संपत्ति रिटर्न, पेंशन पत्रों को जेनरेट करने, भुगतान की स्थिति के रूप में अतिरिक्त सेवाओं को जोड़ा गया है। इसने निगरानी अधिकारियों और कर्मचारी दोनों के लिए मूल्य जोड़ा है।

viii. प्रयास–पीएमओ डैशबोर्डः (https://prayas.nic.in)

मंत्रालय की दो योजनाओं (कोयला उत्पादन और

कोयला प्रेषण) के माह–वार डाटा को वेब एपीआई का उपयोग करके पीएमओ के प्रयास डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया गया था। यह डैशबोर्ड शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए समय श्रृंखला विश्लेषण के साथ विभिन्न केपीआई दिखाता है। प्रयास डैशबोर्ड केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर रहा है, जिनकी निगरानी पीएमओ, मंत्री और अन्य शीर्ष स्तर पर एक ही मंच पर योजना और निगरानी के उद्देश्य से की जा रही है।

ix. पीएम गतिशक्ति–

राष्ट्र मास्टर प्लान (पीएमजीएस–एनएमपी) में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर स्थानिक नियोजन उपकरणों का उपयोग करती हैं। कोयला मंत्रालय ने पीएम जीएस–एनएमपी पोर्टल के माध्यम से अवसंरचना की योजना और निगरानी के लिए विशेषताओं और मेटाडाटा के साथ मैप किए गए 100 से अधिक डाटा परतों की पहचान की है। डाटा स्तर योजना चरण के दौरान संबंधित मंत्रालयों के संसाधनों की एकीकृत योजना प्रक्रिया को बढ़ाते हैं।

कोयला मंत्रालय ने धीरौली कोयला ब्लॉक से गुजरने वाली पारेषण लाइन के वैकल्पिक मार्ग, कोयला ब्लॉकों के साथ ओवरलैपिंग से बचने के लिए पेलमा–सरदेगा और तेनतुलोई–बुधापंक लाइनों के वैकल्पिक रेल संरेखण आदि जैसे मुद्दों को हल करने के लिए पीएमजीएस–एनएमपी पोर्टल का उपयोग किया है। मंत्रालय पीएम गतिशक्ति एनएमपी प्लेटफॉर्म पर डैशबोर्ड और अनुप्रयोगों के विकास के माध्यम से कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं के अन्वेषण से लेकर योजना और निष्पादन तक कोयला संसाधन की मूल्य श्रृंखला बनाने और मंत्रालय के पोर्टल के साथ एकीकृत करने की भी इच्छा रखता है। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की परियोजना रिपोर्टों का विश्लेषण कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत योजना हेतु पीएमजीएस–एनएमपी पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाता है।

2. कोयला मंत्रालय की साइबर सुरक्षा

कोयला मंत्रालय ने एप्लीकेशन पोर्टलों की सुरक्षा करने और मंत्रालय में आईटी अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए सीईआरटी–इन (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) द्वारा साइबर मुद्दों के संबंध में सुरक्षा सलाह को पूरी तरह से कार्यान्वित किया है। मंत्रालय में सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। सीईआरटी–इन के दिशा–निर्देशों के अनुसार, साइबर खतरों और घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम करने और मंत्रालय के संपूर्ण नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की गई है। साइबर सुरक्षा के संबंध में एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुदेश भी सभी सीपीएसई को आवश्यक अनुपालन के लिए परिचालित किए गए हैं। सीईआरटी–इन, आईबी, एनआईसी–सीईआरटी, एनसीआईआईपीसी, आई4सी से प्राप्त सलाहों/अलर्ट/कमजोरियों का तुरंत समाधान किया गया है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) और यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि में स्थापित किया गया है। ईडीआर मुख्य रूप से खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। यह सुरक्षा खतरों की पहचान करने और उनका जवाब देने के लिए समापन बिंदु गतिविधियों की निगरानी और विश्लेषण करता है। यूईएम एंडपॉइंट को कुशलतापूर्वक बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए सॉफ़्टवेयर परिनियोजन, कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन और पैचिंग जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।

मंत्रालय की वेबसाइट और विकसित सभी एप्लिकेशन/पोर्टल को सीईआरटी–इन पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा सुरक्षा ऑडिट प्राप्त करने के बाद एनआईसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है ताकि इन एप्लिकेशन/पोर्टलों को

बाहरी खतरों से सुरक्षित किया जा सके। सभी वेबसाइटों/अनुप्रयोगों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) प्रमाणपत्र है।

पासवर्ड प्रबंधन, ईमेल सुरक्षा, डेस्कटॉप प्रबंधन, रिमूवेबल मीडिया सुरक्षा, सामाजिक मीडिया सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एडवाइजरी और घटना रिपोर्टिंग आदि जैसे विभिन्न साइबर सुरक्षा पहलुओं पर सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं। कोयला मंत्रालय में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क उपकरणों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की गई है।

मंत्रालय के अधिकारियों को मौजूदा साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 को "साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला" का आयोजन किया गया है। कार्यशाला ने अंतर्दृष्टि के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया और मंत्रालय में सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की वकालत की।

मंत्रालय नेटवर्क में तैनात सभी आईटी परिसंपत्तियों जैसे डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्विच आदि की अद्यतन सूची रखता है और पुराने/अप्रचलित नेटवर्क उपकरणों (स्विच) और एंड प्वाइंट्स को चरणबद्ध तरीके से नवीनतम मूल सॉफ्टवेयर के साथ नए उपकरणों के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा अनुपालन को पूरा न करने वाले सभी एंड प्वाइंट्स को मंत्रालय के नेटवर्क से काट दिया गया है।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा:

मंत्रालय मंत्रालय में एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के साथ महत्वपूर्ण बैठकें, संचालन बोर्ड की बैठकें, उप–समूह बैठकें, आईसी बैठकें आदि आयोजित करने में सुविधा हो सके। 5 स्टूडियो आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सिस्टम प्रचालनरत हैं और सभी डेस्कटॉप में डेस्कटॉप आधारित वीसी (भारत वीसी) सुविधा है। इस वर्ष के दौरान लगभग 850 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। 'प्रगति' पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वीसी बैठक के दौरान भी इस सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

4. लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन):

इंटरनेट का उपयोग करने और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संचार के लिए मंत्रालय में एक एलएएन स्थापित किया गया है। लगभग दो सौ छ उपयोगकर्ता एलएएन से जुड़े हैं। उपयोगकर्ता मशीनों पर इंटरनेट के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआईसी–एफएमएस टीम द्वारा सभी प्रकार की ट्रबल शूटिंग की जाती है। ईडीआर और यूईएम को वायरस, मालवेयर और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार उनके प्रबंधन से अग्रिम सुरक्षा और एमईआईटीवाई, भारत सरकार की नीति के अनुसार सभी क्लाइंट्स के लिए स्थापित किया गया है।

5. ईमेल/वीपीएन क्लाउड सपोर्ट:

जब कभी आवश्यक होता है, मंत्रालय के अधिकारियों के ई–मेल अकांउट्स के सृजन पर एनआईसी–कोयला टीम द्वारा कार्रवाई की जाती है। एनआईसीएनईटी के अलावा अन्य नेटवर्कों से ई–ऑफिस तक पहुंचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) अकांउट्स से संबंधित अनुरोधों पर मंत्रालय की एनआईसी टीम के माध्यम से कार्रवाई की जाती है।

6. वाई–फाई सपोर्ट:

लैपटॉप अथवा मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मंत्रालय में वाई–फाई एक्सेस प्वाइंट कनेक्टिविटी को सक्षम बनाया गया है। वाई–फाई कनेक्शन और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर्म प्रोसेसिंग एनआईसी–कोल टीम द्वारा की जाती है। आज की तारीख में, मंत्रालय में लगभग 10 वाई–फाई एक्सेस प्वाइंट संस्थापित किए गए हैं। वाई–फाई से संबंधित समस्याओं की ट्रबल शूटिंग एनआईसी नेटवर्क टीम द्वारा नियमित आधार पर की जाती है।

7. मीडिया

कोयला मंत्रालय का मीडिया सेल मंत्रालय, इसके स्टेकहोल्डरों और जनता के बीच संचार के अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के ऊर्जा परिदृश्य में कोयले के बढ़ते महत्व के साथ, कोयला उत्पादन, संधारणीयता पहल, तकनीकी प्रगति और सीएसआर गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने में मीडिया सेल के प्रयासों ने जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले एक वर्ष में, मीडिया सेल ने पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और लाइव प्रसारण के माध्यम से मंत्रालय के कार्यक्रमों की दृश्यता बढ़ाने के लिए लगन से काम किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की उपलब्धियों को संप्रेषित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता तथा संधारणीयता की ओर कोयला क्षेत्र में जनता को प्रभावी ढंग से शामिल करना है। मीडिया चैनलों के कार्यनीतिक उपयोग ने जनता, मीडिया और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए मंत्रालय की सकारात्मक छवि बनाने में मदद की है।

मीडिया सेल ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट्स के साथ मजबूत संचार बनाए रखा है, जिससे मंत्रालय की उपलब्धियों और पहलों के बारे में जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित हुआ है। पीआईबी प्रेस विज्ञप्तियों, प्रमुख समाचार पत्रों में कहानियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवरेज के माध्यम से, मंत्रालय की प्रमुख घटनाओं जैसे वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी, तकनीकी नवाचार और सीएसआर पहल, संधारणीयता व्यापक दर्शकों तक पहुंची। इन्फोग्राफिक्स और प्रभावशाली दृश्यों के साथ, इस अपडेट ने यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता और स्टेकहोल्डरों को अच्छी तरह से सूचित किया जाए, कोयला उत्पादन वृद्धि, नीतिगत प्रगति और पर्यावरणीय प्रयासों पर प्रकाश डाला।

1. सोशल मीडिया इंगेजमेंट: कोयला मंत्रालय ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्मों पर अपनी डिजिटल उपस्थिति का काफी विस्तार किया है। मीडिया सेल आकर्षक सामग्री को क्यूरेट करने और प्रबंधित करने में सक्रिय रहा है, जिससे फोलोअर्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सार्वजनिक संपर्क में वृद्धि हुई है। सेल ने साझा सामग्री में कोयला उत्पादन, प्रेषण के आंकड़े और संधारणीयता के प्रयासों पर नियमित अपडेट शामिल हैं, साथ ही वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी, स्टार रेटिंग पुरस्कार, और नियमित आधार पर कोयला गैसीकरण और खान बंद करने की योजना जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख पहलों की झलकियां शामिल हैं। इस वर्ष की एक असाधारण उपलब्धि मंत्रालय के अधीन कोयला पीएसयू द्वारा की गई सीएसआर पहलों का व्यापक मीडिया कवरेज रही। इन प्रयासों ने कोयला वाले क्षेत्रों में समुदायों में गहरा सुधार लाया है। मीडिया कवरेज ने स्वास्थ्य शिविरों, शैक्षिक सहायता, महिला सशक्तिकरण पहल, कौशल विकास कार्यक्रमों और निर्माण जैसी योजनाओं सहित प्रभावशाली

कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इन पहलों ने न केवल स्थानीय अवसंरचना में सुधार किया बल्कि सामाजिक संधारणीयता के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को निष्पादित करते हुए स्थायी सकारात्मक बदलाव भी किए।

7.2. मंत्रालय पर प्रमुख घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट और मीडिया कवरेज

मीडिया सेल ने पूरे वर्ष महत्वपूर्ण घटनाओं के लाइव टेलीकास्ट और व्यापक मीडिया कवरेज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय मंत्री द्वारा कोयला बहुल राज्यों और पीएसयू क्षेत्रों के हाई–प्रोफाइल दौरों का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया, जिससे स्टेकहोल्डरों और जनता को महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखने की अनुमति मिली। इन प्रसारणों ने स्थानीय समुदायों और पीएसयू अधिकारियों के साथ मंत्री के जुड़ाव को प्रदर्शित किया, जो कोयला उत्पादन बढ़ाने, संधारणीयता उपायों को आगे बढ़ाने और कामगार कल्याण की सुरक्षा पर मंत्रालय के फोकस को दर्शाता है।

वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के सीधे प्रसारण ने भी प्रक्रिया का एक पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें उचित प्रथाओं के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। मीडिया कवरेज के प्रति इस सक्रिय दृष्टिकोण ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों को प्रभावी ढंग से उजागर किया है।

इसके अतिरिक्त, व्यापक मीडिया कवरेज ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कोयला उत्पादक राज्यों और पूरे देश में सामाजिक–आर्थिक विकास को चलाने के लिए सीएसआर पहलों को कोयला खनन में कैसे एकीकृत किया जाता है। इन कार्यक्रमों की दृश्यता को बढ़ाकर, मंत्रालय ने संधारणीय विकास और सामुदायिक कल्याण के लिए अपने समर्पण का प्रदर्शन किया है।

इसके अतिरिक्त, कोयला नीलामी के शुभारंभ के लाइव टेलीकास्ट ने नीलामी प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की है और भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है।

7.3 मीडिया सेल की मुख्य गतिविधि प्रेस विज्ञप्तियों को लगातार जारी करना रहा है, जो कोयला मंत्रालय के प्रमुख विकासों, पहलों और उपलब्धियों के बारे में मीडिया तथा जनता को सूचित रखने में महत्वपूर्ण हैं। इन प्रेस विज्ञप्तियों में अक्सर आकर्षक और सुलभ तरीके से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इन्फोग्राफिक्स और तस्वीरें शामिल होती हैं। वे कोयला उत्पादन लक्ष्यों, नीति अद्यतन, तकनीकी प्रगति और नई पहलों को उजागर करते हैं, जैसे कि नवीन खनन प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और भूमि पुनरूद्धार परियोजनाओं जैसे संधारणीयता के प्रयास। इन निर्मुक्तियों में उपलब्ध कराई गई विस्तृत जानकारी यह सुनिश्चित करती है कि जनता और स्टेकहोल्डरों को कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मंत्रालय की प्रगति और प्रतिबद्धता के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।

7.4. सहयोग और साझेदारीः मीडिया सेल ने मंत्रालय के आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी संगठनों और मीडिया एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। इन सहयोगों में ऊर्जा सुरक्षा और संधारणीय कोयला प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त संवाददाता सम्मेलन, मीडिया अभियान और संयुक्त जन जागरूकता पहल शामिल हैं।

7.5. मीडिया सेल ने संकट या संवेदनशील मुद्दों के समय संचार का प्रबंधन भी किया है। टीम ने मीडिया के सवालों का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता को सटीक जानकारी प्रदान की गई। चाहे वह कोयला आपूर्ति के बारे में चिंताओं को संबोधित कर रहा हो या सरकारी नीतियों के बारे में संदेह को स्पष्ट कर रहा हो, मीडिया सेल ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि मंत्रालय की स्थिति स्पष्ट रूप से संप्रेषित की गई थी।

7.6. मीडिया सेल ने व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति को पहचानते हुए सोशल मीडिया आउटरीच को भी प्राथमिकता दी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर दैनिक पोस्ट ने फोलोअर्स को मंत्रालय की उपलब्धियों, नीति अपडेट और आगामी परियोजनाओं पर अद्यतित रखा। इन पोस्टों में अक्सर प्रभावशाली दृश्य

होते हैं, जिससे मंत्रालय के ऑनलाइन जुड़ाव और अनुसरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कोयला क्षेत्र के महत्व के बारे में सार्वजनिक समझ में सुधार हुआ।

7.7. पारंपरिक प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया आउटरीच के संयोजन ने मीडिया सेल को उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से लेकर जनता तक विविध दर्शकों तक पहुंचने में मदद की। सोशल मीडिया की व्यस्तता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से मंत्रालय की पहलों के लिए अधिक संपर्क और दृश्यता हुई है, जिससे यह संचार के प्रमुख चैनलों में से एक बन गया है।

7.8. अपनी पहलों के मूर्त प्रभावों को प्रदर्शित करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप, मीडिया सेल ने विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विशेषता वाले वीडियो की एक श्रृंखला तैयार की। इन वीडियो ने उन व्यक्तियों की कहानियों को बताकर एक व्यक्तिगत स्पर्श प्रदान किया जिनके जीवन पर कोयला पीएसयू की सीएसआर गतिविधियों द्वारा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शैक्षिक सहायता से लाभान्वित बच्चों से लेकर कौशल विकास के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाली महिलाओं तक, ये कहानियां दर्शकों के साथ गहराई से गूंजती हैं।

7.9. इन वीडियो को यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर साझा किया गया, जहां उन्होंने पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। वास्तविक जीवन की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करके, मीडिया सेल ने मंत्रालय के प्रयासों को जीवन में लाया, जो इसकी पहल के वास्तविक मानवीय प्रभाव को दर्शाता है। जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इन कार्यक्रमों के महत्व को सुदृढ़ किया और सामाजिक कल्याण के लिए मंत्रालय के समर्पण पर प्रकाश डाला।

7.10. कोयला मंत्रालय के मीडिया सेल के लिए यह वर्ष मंत्रालय की पहलों, उपलब्धियों और प्रमुख घटनाक्रमों को संप्रेषित करने में सफल वर्ष रहा है। पारदर्शिता, सार्वजनिक जुड़ाव, पर्यावरण और सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, मीडिया सेल ने यह सुनिश्चित किया है कि कोयला उत्पादन, संधारणीयता और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने में मंत्रालय के प्रयासों को व्यापक दर्शकों द्वारा मान्यता दी जाती है। सोशल मीडिया पहुंच, मीडिया कवरेज और सार्वजनिक जुड़ाव में निरंतर वृद्धि ने नवाचार, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।